



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000/-रु० के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु०अ०सं०-505/2017 धारा-363,366,376(3) आईपीसी एवं 4(2) पाॅक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त वीरू पुत्र खेमराज वर्मा निवासी देवगांव रोड कस्बा व थाना सुमेरपुर जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास व 18,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक
एडीजीसी रुद्र प्रताप
सिंह



विवेचक-
सीओ एस.एन.
वैभव पाण्डेय



पैरोकार
थाना - सुमेरपुर
हे०का० ज्ञानेन्द्र कुमार